

दिल्ली विधान सभा Delhi Legislative Assembly

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति Committee on Private Members Bills & Resolutions

> नौर्वा प्रतिवेदन Ninth Report

दिनांक 11 अप्रैल 2007 को प्रस्तुत Presented on 11th April, 2007

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054 Delhi Legislative Assembly Secretariat, Old Secretariat, Delhi-110054

समिति की सदस्यता COMPOSITION OF THE COMMITTEE

1.	चौ. प्रेम सिंह, माननीय अध्यक्ष Ch. Prem Singh	सभापति Chairman
2.	श्री शोएच इकबाल,माननीय उपाध्यक्ष Shri Shoaib Iqbal, Hon`ble Dy. Speaker	सदस्य Member
3.	श्री रमाकान्त गोस्वामी,मुख्य सचेतक Shri Ramakant Gowami	सदस्य Member
4.	श्री सुभाष चोपडा Shri Subhash Chopra	सदस्य Member
5	श्री जय किशन Shri jai Kishan	सदस्य Member
<i>6</i> .	श्री जिले सिंह चौहान Shri jile Singh Chouhan	सदस्य Member
7.	श्रीमित मीरा भारद्वान Smt. Meera Bhardwaj	सदस्य Member
8.	श्री रमेश् विद्यूडी Shri Ramesh Bidhuri	सदस्य Member
9.	श्री ओ पी वल्बर Shri O.P. Babber	सदस्य Member

विधान सभा सचिवालय Assembly Secretariat:

सचिव	
Secretary	
संयुक्त सचिव	
Joint Secretary	
अवर सचिव (विधायी)	
Under Secretary (Legislation)	

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054 Delhi Legislative Assembly Secretariat, Old Secretariat, Delhi-110054

Ninth Report of the Private Members Bills and Resolutions Committee

The Ninth meeting of the Private Members Bills and Resolutions Committee held on the 09th April, 2007 at 11.00AM.

The Assembly Secretary apprised the Committee regarding the notices of Resolutions, which had been received by the Secretariat for the 13th & 20th April, 2007.

Private Members Resolutions: Balloting for Resolutions to be taken up on 13th & 20th April 2007 were held on 30th March & 4th April 2007. The following Resolutions received priority:

Name of the Member Shri O.P. Babber 13th April, 2007

Text of the resolution "This House resolves that "Govt. of India be requested to make amendments in master plan 2021 in such a manner so that all the shopkeepers, who are working even today in residential area are regularized."

This House further resolves that any commercial activity which is going on in residential areas be also regularized.

Shri Ramvir Singh Bidhuri

"This House resolves that in order to make local bodies of Delhi more competent and effective, Mayor-in-Council System be implemented for making MCD result oriented, so that aim for Delhi as a world class beautiful city is achieved "

Shri Subhash Chopra

"This House recommends that for more effective and appropriate administration in Delhi Law & Order, Police and Land be brought under Delhi Government with immediate effect".

20th /April, 2007

Shri Amrish Singh Gautam "This House resolves that transport system be improved in the Capital with most advanced world class facilities and special emphasis be accorded to the transport facilities in the rural areas".

Shri O.P.Babber

"This House resolves that the local area development fund allotted to the Members of Assembly be enhanced to four crores from two crores per annum in view of the soaring price rise and increase in the cost of materials meant for the development works".

Shri Mohon Singh Bisht "This House resolves that basic facilities and civic amenities such as drinking water, roads, Hospitals, toilets and drainage system be made available in advance when the Government allots alternative plots to the poor people residing in juggi jhopries".

II Private Members Bills: 'The Delhi Right to Information (Amendment) Bill,2006' moved by Sh. Bheeshm Sharma had been introduced on 17.3.2006 and pending shall be considered by the House on Friday after the resolution if time permits.

The Committee authorized Shri Ramakant Goswami and in his absence Shri O.P. Babber to present the report to the House on the 11th April, 2.007.

09th April, 2007 Delhi Ch. Prem Singh Chairman & Speaker

दिल्ली विधान सभा

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति

का नौवां प्रतिवेदन

समिति की बैठक 09 अप्रैल,2007 को पूर्वाहन 11.00 बजे अध्यक्ष महोदय के कक्ष में सम्पन्न हुई।

विधान सभा सचिव ने सिमिति को बताया कि शुक्रवार 13.04.2007 एवं 20.04.2007 की तिथियां गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों के लिये निर्धारित की गई है।

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प: समिति ने निर्णय लिया कि शुक्रवार,13 एवं 20 अप्रैल,2007 को निम्नलिखित संकल्पों को चर्चा के लिये लिया जायेगा:-

शुक्रवार, 13 अप्रैल,2007				
क्र.सं.	सदस्य का नाम	संकल्प का विषय		
1.	श्री ओ.पी.बब्बर	यह सदन संकल्प करता है कि भारत सरकार से यह अनुरोध किया जाये कि मास्टर प्लान-2021 में इस तरह से संशोधन करें कि आज भी रिहाइशी क्षेत्रों में चल रही सभी दुकानों को नियमित किया जा सके। यह सदन यह भी संकल्प करता है कि रिहायशी क्षेत्रों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को भी नियमित किया जाये।		
2.	श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी	यह सदन संकल्प करता है दिल्ली के स्थानीय निकायों को और अधिक कुशल एवं प्रभावी बनाने हेतु दिल्ली नगर निगम को और अधिक सुदृढ़ बनाते हुए मेयर-इन-काउंसिल प्रणाली को लागू किया जाये ताकि दिल्ली को विश्वस्तर का एक सुन्दर महानगर बनाने का लक्ष्य पूरा हो सके।		
3.	श्री सुभाष चौपड़ा <u>शुक्रवार</u>	यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली के बेहतर प्रशासन के लिये कानून-व्यवस्था,पुलिस एवं भूमि को दिल्ली सरकार के अधीन तुरन्त प्रभाव से किया जाये। 20 अप्रैल,2007		
1.	श्री अमरीश सिंह गौतम	यह सदन संकल्प करता है कि राजधानी में परिवहन प्रणाली में विश्वस्तर की सुविधाओं सहित सुधार किया जाये और देहाती क्षेत्रों में परिवहन प्रणाली में विशेष ध्यान दिया जाये।		
2.	श्री ओ.पी.बब्बर	यह सदन संकल्प करता है कि विकास के कार्यों में इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होने के कारण विधान सभा के सदस्यों को आबंटित स्थानीय क्षेत्रीय विकास फंड को दो करोड़ से बढ़ाकर चार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष किया जाये।		

3. श्री मोहन सिंह बिष्ट

यह सदन संकल्प करता है कि झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों को झुग्गी के बदले प्लाट आबंटित करने से पहले, सरकार वहां पर मूलभूत नागरिक सुविधाएं-जैसे पीने का पानी,सड़कें ,अस्पताल,शौचालय एवं ड्रेनेज सिस्टम जैसी सुविधाएं उपलब्ध करायें।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

श्री भीष्म शर्मा द्वारा 17.3.2006 को सदन में पुर:स्थापित दिल्ली सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक,2006 अभी तक लिम्बित है। यदि अनुमित मिली तो समय की उपलब्धता को देखते हुए इस विधेयक को संकल्पों पर चर्चा के बाद में विचारार्थ लिया जा सकता है।

समिति ने श्री रमाकान्त गोस्वामी एवं उनकी अनुपस्थिति में श्री ओ.पी.बब्बर को सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया।

चौ.प्रेम सिंह

सभापति

दिल्ली। 09 अप्रैल,2007 गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति